कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1244 /12-1, देहरादून, दिनांक 09 सितम्बर, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— मा0 घोषण सं0–15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद, देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सन्दर्भः— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश के पत्र संख्या–2413/1सी, दिनांक 07.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से जारी कार्यवृत्त के अनुपालन में दिनांक 10.08.2024 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रस्तावित सनगांव–नाहींकला मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, वन क्षेत्राधिकारी, थानों रेंज, वन विभाग के सम्बन्धित स्टाफ, सनगांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सनगांव से नाहीकलां तक प्रस्तावित मार्ग के समीप एक पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग मौजूद है। परंतु उक्त पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग की ग्रेडिऐन्ट प्रारम्भिक 1.5–2 कि0मी0 तक बहुत ज्यादा है, जिसके विषय में मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इतने अधिक ग्रेडिऐन्ट में लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप मोटर मार्ग बनाना संभव नहीं है, जिस कारण उक्त मानकों के अनुरूप मार्ग का नया समरेखण किया गया है। इसके पश्चात् यद्यपि पूर्व निर्मित मार्ग की ग्रेडिऐन्ट पूर्व की भांति बहुत ज्यादा नहीं है परंतु मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उक्त पूर्व निर्मित मार्ग की ग्रेडिऐन्ट कहीं–कहीं पर छोड़कर अन्य स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उक्त पूर्व निर्मित मार्ग समरेखण पर ही नया प्रस्तावित मार्ग बनाने हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी सहमति नहीं है, जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी की गयी। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित पत्र भी दिया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए सनगांव से नाहींकला तक कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर ही मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहें। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः— 1244 / 12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
मानवेन्द्र नगर, निकट रेलवे स्टेशन
Office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh
Phone/Fax No. : 0135-2430660 **E-Mail ID :- eetdrksh@rediffmail.com**

पत्रांक 2413 / 1 जी दिनांक 7 / 9 /2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून.

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानससभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

संदर्भ – क्षेत्रीय कार्यालय पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ0आर0सी0एम0) के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित (एफ0आर0सी0एम0) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में दिनांक 10.08.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग व अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, द्वारा उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश की ओर से श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय पाया गया कि गूगल KML मैप पर प्रदर्शित होने वाला दूसरा रास्ता ग्रामीणों द्वारा निर्मित किया गया है जो वन विभाग के फायर के काम भी आता है। उक्त मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें मार्ग की लम्बाई 6.275 किमी0 एवं मार्ग का वर्तमान ग्रेड 1:7, 1:8, 1:16, 1:13, 1:6 पाया गया जो कि लो0नि0वि0 के मानकों के अनुरुप नहीं है, मार्ग पर 14 नं0 एच0पी0 बैण्ड हैं। मार्ग को लो0नि0वि0 के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरुप बनाने के लिए मार्ग की चौड़ाई बढाते हुये मार्ग की लम्बाई भी बढानी होगी। पूर्व निर्मित मार्ग पर 1:6 के ग्रेडिएन्ट पर 1:20 ग्रेडिएन्ट में परिवर्तन करने पर मार्ग मार्ग का समरेखण बदल जायेगा। इसके विपरीत मार्ग पूर्व में स्वीकृत समरेखण पर किये गये सर्वेक्षण में मार्ग का ग्रेड़ लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार औसतन 1:20 एवं एच0पी0 बैण्ड पर 1:40 रखा गया है जिसमें 8 नं0 एच0पी0बैण्ड का प्राविधान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पूर्व निर्मित रास्ते पर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी सहमति नहीं है।

अतः आख्या स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न – पूर्व में कराया गया समरेखण।
गूगल मैप पर दिखने वाले मार्ग का समरेखण।

(इं0 भृगुनाथ द्विवेदी)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक........................../ दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– 1.अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2.सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
ऋषिकेश

Scanned with CamScanner

आयुष्मान भारत